न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप भोपाल

PBR/अपील/होशंगाबाद/भू-रा/2017/2554

अधिवक्ता श्री संदीप दुबे जिला होशंगाबाद द्वारा प्रस्तुत। 11/07/2017

गोधनसिंह आत्मज श्री तुलसीराम
ग्राम कोटवार ग्राम उमरिया तहसील सिवनीमालवा
जिला होशंगाबाद (म.प्र.)...................................अपीलार्थी

बनाम

मध्यप्रदेश शासन...उत्तरवादी

25 11/07/17

अपील अंतर्गत धारा 44 म.प्र.भू.रा.संहिता

उपरोक्त अपील अपीलार्थी न्यायालय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय होशंगाबाद द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 03ख19(1) वर्ष 2009-10 मनोहर विरूद्ध शासन एवं न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा रा.प्र.क्र. 281/अपील/2013-14 आदेश दिनॉंक 16.03.2017 से विपरीत प्रभावित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह अपील प्रस्तुत करता है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/अपील / होशंगाबाद / भू.रा. / 2017 / 2554

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–12–2017	अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आयुक्त के आदेश दिनांक 16–3–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाले जाकर अपील निरस्त की गई है कि प्रश्नाधीन भूमि अपीलार्थी को स्वत्व समाप्ति अधिनियम की धारा 45 (2) के अन्तर्गत सेवा भूमि के रूप में बतौर पारिश्रमिक दी गई है और ऐसी भूमि पर अपीलार्थी को मौरूसी हक प्राप्त नहीं होने से उसे भूमिस्वामी नहीं माना जा सकता है । आयुक्त द्वारा निकाला गया उपरोक्त निष्कर्ष पूर्णतः विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस अपील में नहीं है । फलस्वरूप यह अपील प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	